"परिशिष्ट 1 का प्ररूप सं. 9
(धारा 52 और नियम 76 और 131 देखिए)
फीस रसीद

कार्यालय का नाम उप पंजीयक खोट' 16730

पक्षकार/कार्यालय प्रति मुद्रण की दिनांक ....

फीस रसीद सं. :		रसीद दिनांकः	04/05/17
प्रस्तुतीकरण/आवेदन की दिनांकः	04/05/17	दस्तावेज क्र.सं.:	
आवेदन/प्रस्तुतकर्त्ता का नामः	कपिल कुमार	निष्पादक का नामः	U.I.T.
पताः	मिश्रा. ढाणी, सीकर	दस्तावेज का प्रकारः	पट्टा विलेख
अंकित मूल्यः	—	मूल्यांकित मूल्यः	14034780/-
सम्पति के ब्यौरेः	[illegible]		SD 100/-

वसूली गई फीस के ब्यौरे-

रजिस्ट्रीकरण फीसः	140350/-	अभिरक्षा फीसः	
सी एस आई फीसः	300/-	मोहरबंद लिफाफा जमा कराने/प्रत्याहरण/खोलने की फीसः	
धारा 64 से 67 तक के अधीन ज्ञापन की फीसः		निरीक्षण और तलाशी की फीसः	
धारा 57 के अधीन प्रमाणित प्रति की फीसः		प्रकीर्ण फीसः	
धारा 25, 34 के अधीन जुर्मानाः		स्टाम्प शुल्कः	
कमीशन/उपस्थिति की फीसः		अधिभारः SC - नकद रकमः	20/-
		नकद से भिन्न रकमः	—
		कुल रकमः	140670/-

रकम के साथ संदाय की रीतियां

प्रतिलिपि या तलाशी प्रमाणपत्र के लिए प्रस्तुतकर्ता या आवेदक के हस्ताक्षर

प्राप्तकर्त्ता के हस्ताक्षर और प्राप्ति रसीद के लौटाने की दिनांक

जांची के हस्ताक्षर

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

K 513812

पट्ट:–डी

मैं अरिहृद्व डवलपर्स सीकर जरिये बसंत कुमार मिश्रा पुत्र बंशीधर मिश्रा जाति ब्राहमण निवासी औधोगिक नगर सीकर व प्रमोद सिघानिया पुत्र बालचन्द सिघांनिया जाति महाजन निवासी रामलीला मैदान सीकर राज0 हूँ।

जो कि मुझ निष्पादनकर्ता के मालिकाना, कब्जे, हक, अधिकार,स्वामित्व का एक किता पट्टा शुदा आवासीय सम्पदा वाकै ग्राम बलरामपुरा पंचायत समिति धोद तहसील धोद जिला सीकर में आबादी क्षैत्र में अवस्थित है, उक्त पट्टा नगर सुधार न्यास द्वारा दिनांक 23/11/2016 द्वारा उपरोक्त निष्पादनकर्ता के पक्ष में अर्फोडिंग हाउसिंग सीएमजेएवाई प्रयोजन हेतु जारी किया गया है। उक्त योजना का नाम मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015(अर्फोडेबल हाउसिंग) के तहत है। तथा उक्त योजना ग्राम बलरामपुरा तहसील धोद जिला सीकर के खसरा नम्बर 1310/799, 1311/801 क्षैत्रफल 10795.98 वर्गमीटर मे सलंग्न मानचित्रानुसारं अवस्थित है। जिस सम्पदा पर मुझ निष्पादनकर्ता का कदीमी रूप से कब्जा, स्वामित्व चला आ रहा है।

मै० अनिरुद्ध डवलपर्स सीकर जरिये :- बसंत कुमार मिश्रा S/0 वंशीधर मिश्रा जाति ब्राह्मण नि० औद्योगिक नगर सीकर (2) प्रमोद सिंघानिया S/0 बालचंद सिंघानिया जाति महाजन नि० नानीया बाईपास सीकर (सीकर)

2:1269
21/7/17

ओमप्रकाश कुमावत
स्टाम्प वेन्डर ला.नं. 10/2000
कोर्ट परिसर, सीकर

आज दिनांक 4.5.17 5 p.m. बजे
श्री/ श्रीमती बसंत कुमार मिश्रा पुत्र/पत्नी श्री वंशीधर
उम्र ... जाति ब्राह्मण पेशा व्यापार
निवासी औद्योगिक नगर सीकर ने मेरे समक्ष
दस्तावेज पंजीयन ...

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
Basant Mishra

हस्ताक्षर उप पंजीयक
खोद

16730 दिनांक 4.5.17
140350
300
1
20
140670

1. बसंत कुमार । वंशीधर ब्राह्मण
2. प्रमोद कुमार बालचंद महाजन
नि० सीकर

हस्ताक्षर उप पंजीयक
खोद

... ने ... पक्ष ... मेरे समक्ष ... सीकर ...

Basant Mishra
हस्ताक्षर उप पंजीयक
खोद

अतः यह आलेख पट्टा डीड मुझ निष्पादनकर्ता ने आज दिनांक 21/03/2017 को होश हवास में बिना किसी नशे पते व बिना किसी दबाब नाजायज के सक्षम साक्षियान की उपस्थिति में तहरीर एंव तकमील कर दिया है कि सनद् रहे व समय पर काम आवे।

हस्ताक्षर निष्पादनकर्ता

साक्षीगण :

1. योगेश माऊका S/o काशीप्रसाद माऊका नि0 वार्ड नं. 21 शीतला-चौक सीकर (राज0)

2. दीपक मिश्रा S/o रामस्वरूप मिश्रा नि0 वार्ड नं. 25 शीतला-चौक सीकर (राज0)

हेमन्त कुमार मिश्रा

उक्त निष्पादनकर्ता श्री/श्रीमती [illegible]

की पहचान श्री/श्रीमती [illegible] जाति [illegible]

पुत्र श्री/पति [illegible] 21 [illegible]

पेशा [illegible] [illegible]

श्री/श्रीमती [illegible]

जाति [illegible] [illegible] [illegible]

निवासी 25 [illegible] [illegible]

ने मेरे समक्ष हस्ताक्षर/अंगूठा निशान किये।

हस्ताक्षर उप पंजियक
धोद

[illegible]

4.5.17

[illegible] 1 08

[illegible] 1009

[illegible] 59

[illegible] 1 350

[illegible] 15 18

हस्ताक्षर उप पंजियक
धोद

पत्रावली संख्या 331

नगर सुधार न्यास, सीकर

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 को नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का

पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष 2016 के माह नवम्बर के 23 वे दिन नगर सुधार न्यास, सीकर (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है प्रथम पक्ष एवं श्री मैसर्स अनिरुद्ध डवलपर्स सीकर जरिये श्री बसंत-कुमार मिश्रा पुत्र श्री बंशीधर मिश्रा व श्री प्रमोद कुमार सिंघानिया पुत्र श्री बाल चंद सिंघानिया

जाति ब्राह्मण, महाजन व्यवसाय व्यापार

निवासी औद्योगिक क्षेत्र सीकर; रामलीला मैदान सीकर

(जिनकों इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा की गई है और जिनकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तो और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेंगे, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड(जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना मुख्य मंत्री जन आवास योजना 2015 (अफोर्डेबल-हाउसिंग) राजस्व ग्राम बलराम पुरा, तहसील-धोद के खसरा संख्या 1310/799; 1311/801 क्षेत्रफल 10795.98 वर्गमीटर में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादो, संरक्षणों, प्रतिबंधो, बंधनों, शर्त और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग ओर इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :–

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय–समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप–नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये — NIL — अंके .... मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो, एक बारीय नगरीय निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है, को सम्मिलित करते हुए, पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गयी नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
2. एक बार नियत किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धिप्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या, यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधिः– पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगें।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल अफोर्डेबल हाउसिंग CMJAY 2015 प्रयोजन, जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है, के लिए किया जाएेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम–26 के अन्तर्गत बढा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरिक या उप–पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निंबधन और शर्ते और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप–पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होंगे मानों प्रश्नगत उक्त भूखझण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप–पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप–पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तो या किन्हीं पृथक् आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस निमित्व विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जाये, शासित होंगे।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान विलेख, या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी : परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभारित नहीं की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिकत/बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अधीन भू–राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।

9. यदि आबंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आबंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आबंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तो का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेंगे, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिए दायी नहीं होगा।

* 10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ. सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

* जो लागू नहीं हो उसे काट देवें।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम : सीकर
राजस्व ग्राम : बलराम पुरा
खसरा नम्बर : 1310/799; 1311/801
योजना का नाम : मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल
वर्ग गज/मीटर 10795.98 वर्ग मीटर

पूर्व 1168/801; 1276/801 पश्चिम 1309/799; 1312/801
भूखण्ड की संख्या 1310/799; 1311/801 यदि कोई हो
सीमा उत्तर सीमा ग्राम [illegible] दक्षिण सीकर शहर से पालवास सड़क 25 मीटर चौ. मानचित्र संलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

नगरीय निकाय की ओर से

(मोहर: कार्यालय नगर सुधार न्यास सीकर)

आज सन् 2016 के माह 11 के 23 वें दिन श्री सचिव नगर सुधार न्यास सीकर निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये –

(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)
नगर निकाय–प्रथम पक्ष
(मोहर: अधिशाषी नगर सुधार न्यास सीकर)

साक्षी :–

1. नाम श्री मनीष पारीक पुत्र श्री रामस्वरूप पारीक
व्यवसाय नौकरी निवास स्थान सुभाष चौक सीकर

Manish
साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम श्री रजत माहेश्वरी पुत्र श्री शिव भगवान
व्यवसाय नौकरी निवास स्थान वार्ड नं. 16 सीकर

Rajat
साक्षी के हस्ताक्षर

आज .... सन् 2016 के माह नवम्बर के 23 वे दिन को निम्नलिखित की उपस्थिति में उक्त श्री बसन्त कुमार मिश्रा लीजधारक द्वारा कार्यालय UIT में हस्ताक्षर किये गये।

Basant Mishra.

लीजधारक – द्वितीय पक्ष

1. नाम [illegible] पुत्र [illegible]
व्यवसाय [illegible] निवास स्थान [illegible]

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम राजेश कुमार शर्मा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद शर्मा
व्यवसाय व्यापार निवास स्थान वार्ड नं. 28 मावलियों की ढाणी रोड पालवास रोड सीकर

साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक 4.5.17
पुस्तक सं. 1 जिल्द सं. 88
के पृष्ठ सं. 59 1009
पर पंजीबद्ध
पुस्तक सं. 1 350
के पृष्ठ 16 18
पर चस्पा किया गया

URBAN IMPROVEMENT TRUST
SIKAR

SITE PLAN OF PLOT- VILL. BALRAMPURA, PALWAS ROAD, DIST. SIKAR (RAJ.)
LEASE HOLDER - ANIRUDH DEVELOPERS BY BASANT MISHRA S/o BANSHIDHAR MISHRA & PRAMOD KUMAR SINGHANIYA S/o BALCHAND SINGHANIA, SIKAR (RAJ.)

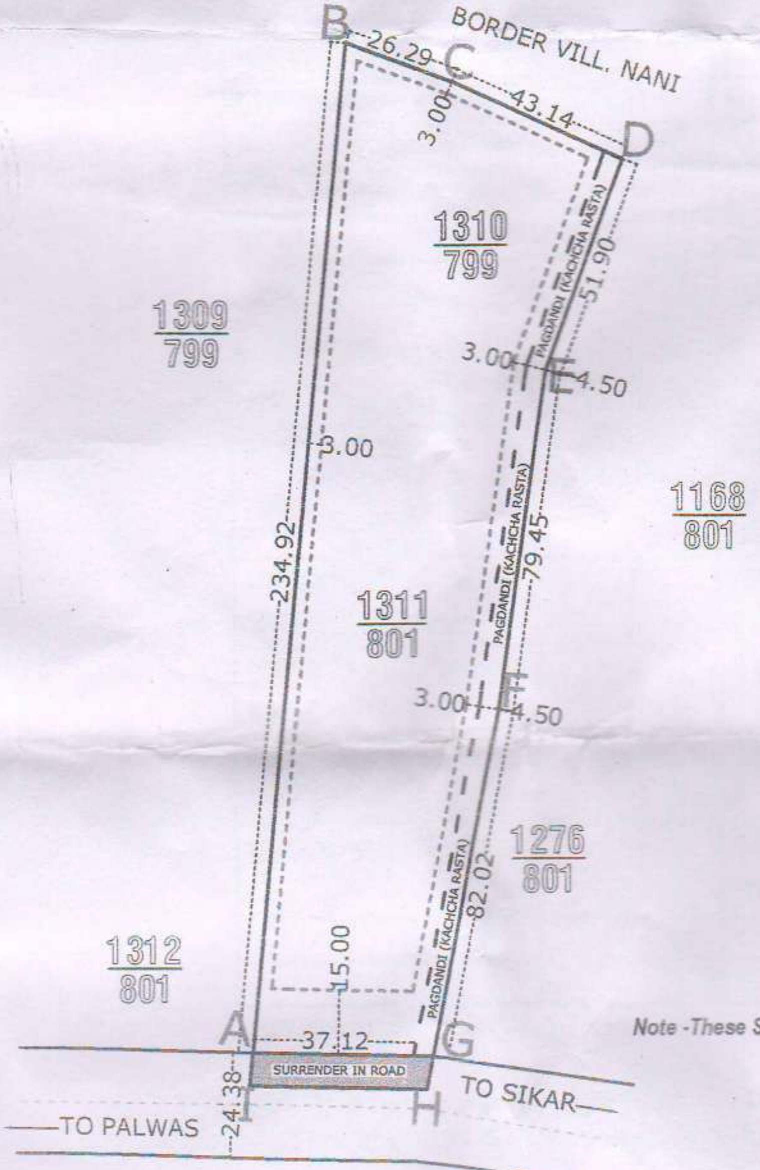

N

Set Back =
Front - 15 Mtr.
Back - 3 Mtr.
Rear - 3 Mtr.
Rear - 3 Mtr.

Note -These Set-Back are Only for Height Up-to 15 Mtrs.

Area in Khasra No. $\frac{1311}{801}$ & $\frac{1310}{799}$ *(ABCDEFGHI)*	=	12066.00 Sq. Mtrs.
Area Surrender in Master Plan Road(AGHI)	=	305.70 Sq. Mtrs.
Area Surrender in Pagdandi (katcha Rasta)	=	964.32 Sq. Mtrs.
Rest Area	=	10795.98 *Sq. Mtrs. { 12911.88 Sq. Yards }*

Scale = 1:1750

Vill. Balrampura, Palwas Road, Dist. Sikar (Raj.)

Site Engineer

कनिष्ठ अभियन्ता
नगर सुधार न्यास
सीकर (राज.)

Executive Engineer

सहायक नगर नियोजक
नगर सुधार न्यास

Secretary

सचिव
नगर सुधार न्यास
सीकर राज.